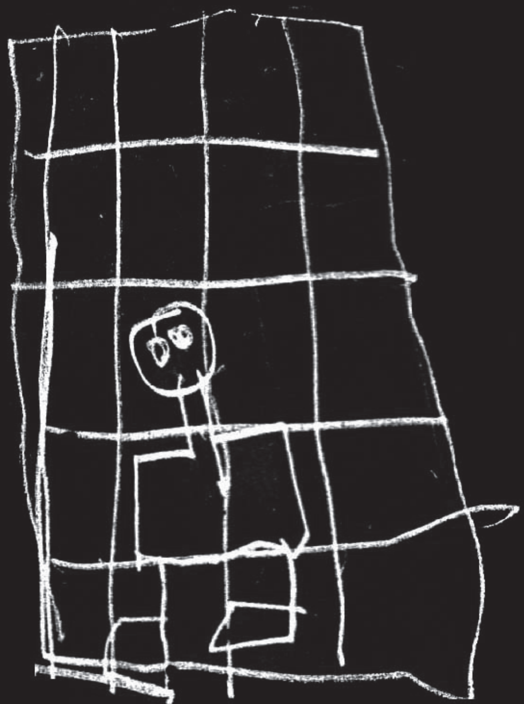
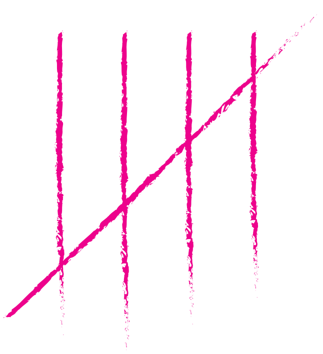


“ हमारे नाखूनों को प्लायर से उखाड़ा गया ”

भोपाल में पुलिस के साथ बच्चों के अनुभवों के केस अध्ययन



ये केस भोपाल में पुलिस द्वारा बच्चों के साथ किये जाने वाले व्यवहार के मुद्दे पर किए गए तथ्यान्वेषण की रिपोर्ट पर आधारित हैं।[9] जुलाई 2015 में एक तथ्यान्वेषण टीम ने भोपाल शहर की 7 बस्तियों का दौरा किया और 100 से अधिक बच्चों और युवतियों से बातचीत की। रिपोर्ट में सारी बातचीत का वर्णन करना सम्भव नहीं था फिर भी 66 बच्चों के अनुभवों को रिपोर्ट में शामिल किया गया था। इनमें से यहां अलग–अलग पृष्ठभूमि के बच्चों के कुछ मामले प्रस्तुत किए गए हैं।

हेमपाल // जुनैद // रिधि // सावन // कमल

1

हेमपाल [10]

हेमपाल 14 साल का एक किशोर है। वह एक निजी स्कूल में कक्षा 9 में पढ़ता है। वह अहसान नगर, भोपाल में अपने माता–पिता, एक बहन और तीन भाइयों के साथ रहता है। अपने भाई–बहनों में वह सबसे छोटा है। छः महीनें पहले, जनवरी 2015 में हेमपाल और उसका दोस्त एक टीशर्ट खरीदने बाज़ार गए थे। दोपहर दो बजे वे एक दुकान पर पहुंचे और टीशर्ट खरीदी। घर लौटने से पहले, जब वे करोंद चौराहे पर कुछ खा रहे थे, तभी दो पुलिसवाले मोटरबाइक पर वहां आए और उनसे पूछा कि वे यहां क्या कर रहे हैं। जब उन्होंने बताया कि वे टीशर्ट खरीदने के लिए गए थे तो पुलिसवालों ने कठोरता से उनसे कहा – 'तुम लोगों ने शर्ट चोरी की है'। हेमपाल ने पुलिसवालों को बताया कि टीशर्ट उन्होंने खरीदी है, चुराई नहीं है। पुलिसवालों ने हेमपाल से कहा कि वे उन्हें उस दुकान पर ले चलें जहां से उन्होंने टीशर्ट खरीदी थी। वह उन्हें लेकर दुकान पर गया। दुकानदार ने टीशर्ट खरीदने की पुष्टि की। पुलिसवालों ने हेमपाल और उसके दोस्त को थप्पड़ मारा और उन्हें धमकी देने लगे कि वे आइन्दा निशातपुरा पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में न दिखाई दें।

2

जुनैद

16 वर्षीय जुनैद, शीशों और खिड़कियों के लिए अल्युमिनियम के फ्रेम बनाता है। लगभग एक साल पहले सुबह 4 बजे अहसान नगर से बच्चों समेत 35 लोगों को उठा लिया गया और उन्हें निशातपुरा पुलिस स्टेशन ले गए। वहां उन्हें पाइपों से मारा गया। जुनैद और उसका 19 वर्षाय भाई उनमें से एक थे। पुलिस का कहना था उन्हें 'चोरी' के आरोप में उठाया गया है। पुलिस ने उन्हें शाम को 6 बजे तब छोड़ा जब उनमें से प्रत्येक व्यक्ति ने 1000 रूपये से 2000 रूपये चुकाए।

3

रिधि

14 साल की रिधि को पुलिस ने उस समय उठा लिया जब वह पन्नी बीन रही थी। पुलिस उसे कमलानगर पुलिस स्टेशन लेकर गयी। वहां उसे लात और डण्डों से मारा गया जिससे उसके माथे से खून बहने लगा। उसे तभी छोड़ा गया जब उसके माता-पिता ने पुलिस को 2000 रूपये दिये। सिर पर आई चोट के कारण उसको कई दिनों तक उपचार कराना पड़ा।

4

कमल

16 वर्षीय कमल अपनी बहन के साथ सड़कों पर रहता है। उसके पिता की मौत काफी पहले हो गयी थी और उनकी मां हाल ही में टीबी से गुज़र गयीं। उसने पिछली बरसात में घटित पुलिस यातना की एक घटना बतायी। बोर्ड आफिस चौराहे के पास एक मन्दिर में एक चोरी हो गयी थी। वहां दानपात्र समेत कई चीज़ों की चोरी हो गयी थी। सादे कपड़े में पुलिसवाले उस जगह आए जहां वे बच्चे रात में सोते थे और इस बात पर ज़ोर देने लगे कि उन्होंने ही डकैती की है। कमल कहता है कि वह चोरी में शामिल नहीं था, उसने पुलिस से भी यही कहा। लेकिन उसे और एक और बच्चे को पुलिस एम.पी. नगर पुलिस स्टेशन लेकर गयी। वहां उन्हें 13 दिनों तक रखा गया। अन्य बच्चों को भी पुलिस स्टेशन में नज़रबन्द किया गया था। कमल ने तथ्यान्वेषण टीम को बताया कि 'हमारे पैरों के बीच में डण्डे डाल कर हमें पीटा गया।' 'हमारे कानों में बजरी डाल के घुमाया गया।' तथा 'हमारे नाखूनों को प्लायर से उखाड़ा गया।' पुलिसवालों ने बच्चों से थाना भी साफ करवाया। पुलिस ने उनसे लगातार जुर्म कुबूल करने को कहा। लेकिन लड़कों ने कुछ भी नहीं किया था तो उनके पास कुबूल करने के लिए कुछ भी नहीं था। उनमें से कुछ को तो छोड़ दिया गया, जबकि बाकियों को केवल तभी किशोर न्याय बोर्ड में भेजा गया जब एक (किसी अन्य काम से थाने आयी) सामाजिक कार्यकर्ता ने यह देखा और हस्तक्षेप किया।

कमल ने बताया कि एक और बार उसे हबीबगंज पुलिस द्वारा एक गैस सिलिंडर चोरी के लिए उठाया गया था। तीन–चार दिनों तक उसे पुलिस स्टेशन में रखा गया। वहां उसे पीटा गया और उसे नमक चाटने को मजबूर किया गया तथा हथकड़ी लगायी गयी व डण्डे से पिटाई की गयी। कमल ने सवाल किया 'सड़क पर रहनेवाला एक व्यक्ति गैस सिलिण्डर का क्या करेगा।'

5

सावन

17 वर्षीय सावन ने बताया कि पुलिस ने उसे उस समय उठा लिया जब वह पिक्चर देखने कोटरा बाज़ार गया था। जब उससे यह पूछा कि उसे क्या लगता है कि ऐसा क्यों हुआ होगा, उसका कहना था जब पुलिस को यह पता चलता है कि व्यक्ति पारधी समुदाय से है तो वे उसे उठा लेते हैं। उसका कहना है कि पारधियों को उनकी बोली से पहचान लिया जाता है।

सावन शादियों के मौसम में वेटर का काम करता है। उनका काम देर रात तक चलता है, जो कभी–कभी 1 या 2 बजे रात को समाप्त होता है। इसके बाद केटरिंग का काम करनेवाले मज़दूरों को बचाखुचा खाना बांट दिया जाता है। इसके बाद सावन को इतनी रात में पैदल घर लौटना पड़ता है क्योंकि उस समय बसें नहीं चलती। अगर उस समय पुलिसवाले मिल जाते हैं तो वे उससे कहते हैं 'अच्छा, चोरी करके लौट रहे हो?' और जब वह बताता है कि वह वेटर का काम करके लौट रहा है तो पुलिसवाले व्यंग्य करते हैं 'पारधी लोग कबसे काम करने लगे?'। सावन कहता है कि सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब वे इतनी कड़ी मेहनत करते हैं और पुलिसवाले उनका अपमान करते हैं और उन्हें उठा लेते हैं।

क्या हम इस देश के बच्चे व नागरिक नहीं?

–राजीव नगर, भोपाल के पारधी समुदाय के बच्चों की एक सर्वे रिपोर्ट[11]

राजीव नगर, भोपाल के बच्चों के एक समूह ने मई – अगस्त 2015 के बीच पुलिस द्वारा उनके इलाके में किये जाने वाले बाल अधिकारों के उल्लंघन के मुद्दे का दस्तावेजीकरण किया। बच्चों ने वहां के 70 पारधी घरों के प्रत्येक बच्चे का पुलिस से होने वाले हरेक सम्पर्क को लेखबद्ध किया। उन्होंने इस सूचना को सम्बन्धित ज़िम्मेदार लोगों से साझा किया, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी। बच्चों की उम्मीद है कि शायद इससे परिवर्तन की ओर कुछ कार्यवाही होगी।

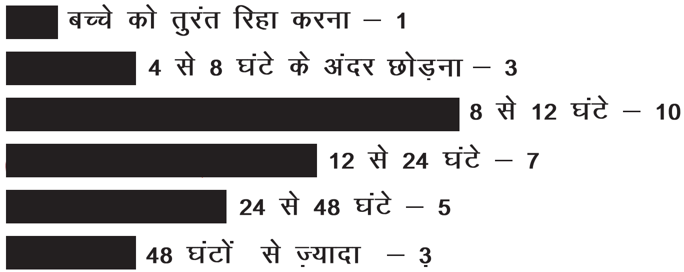

दीवली की सफाई के समय हमें खूब माल मिल रहा था।...
अरे चलो सब माल कबाड़ी को बेचते हैं।
कबाडी की दुकान
तभी वहां पुलिस आ गई
ये माल कहा से लाए ? क्या चोरी की तुमने ?
नही चोरी नही की हमने, ये तो हमें न्यू मार्केट के पास 6 बंगली के पास मिला है।
क्यों न मैं यहा से भाग जाउं!
मैं तो बच गई...
मुन्नी और छालिया की मां को बताना पड़ेगा।
घर पहुंचकर मैंने मां को सब कुछ बता दिया...
छालिया और पूनम को पुलिस पकड़ कर ले गई।



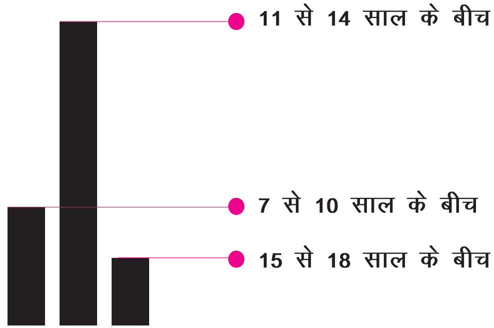
पुलिस द्वारा पकड़े गए बच्चों की संख्या



पुलिस हिरासत में कैद रखने की अवधि



कैद बच्चों की उम्र



● बच्चों की संख्या



पुलिस द्वारा बच्चों के साथ किये गए सुलूक की प्रकृति

नोट– चार बच्चों ने यह बताया कि उन्हें 'केवल' थप्पड़ मारा गया था।
बाकी सारे बच्चों ने यह बताया कि उन्हें झापड़ों के अतिरिक्त अन्य चीज़ों से भी पीटा गया जैसे – जूतों, डण्डों, बेल्टों और पाइपों से।

उम्र	बच्चों की संख्या	पुलिस द्वारा इकट्ठा की गई कुल धनराशि / समुदाय द्वारा दी गई कुल राशि	प्रति बच्चे पर ली गई न्यूनतम व अधिकतम धनराशि	प्रति बच्चे से औसतन ली गई धनराशि
7–10 वर्ष	7	8500 रु.	500–2000 रु.	1214 रु.
11–14 वर्ष	17	44800 रु.	200–4000 रु.	2635 रु.
15–18 वर्ष	4	18000 रु.	2000–10000 रु.	4500 रु.

बच्चों की संख्या

28 थाने से छोड़े गए बच्चों की संख्या

01 सड़क पर छोड़े गए

00 जिन बच्चों पर कोई केस किया गया

00 जिनके लिए अपेक्षित फार्म भरे गए अथवा जिनसे किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने को कहा गया

पुलिस की हिंसा बच्चों के लिए

एक यातनादायी अनुभव

मानसिक बनावट बदलती यातना

हम उस प्रभाव को शायद ही कभी समझ सकें जिससे बच्चे गुज़रते हैं जब वे पुलिस की हिंसा को किसी भी रूप में झेलते हैं, चाहे वे कानून लागू करनेवाली संस्थाओं के हाथों हिंसा खुद भोगते हैं या किसी और के ऊपर घटित हिंसा देखते हैं। इस कठोर अनुभव के असर तुरन्त ही सामने देखे जा सकते हैं और साथ ही इसका प्रभाव लम्बे समय तक रहता है।

बच्चों पर होने वाली हिंसा और दुर्व्यवहार के इर्दगिर्द शोध अधिकांशतः यह चिन्हित करने में असफल रहते हैं कि पुलिस भी बच्चों पर होनेवाली हिंसा का एक स्रोत है। बच्चों के रू-ब-रू पुलिस हिंसा के क्षेत्र में थोड़ा बहुत शोध जो हमें मिलता है वह अमेरिका के अश्वेत बच्चों के समुदाय के अनुभवों पर आधारित है।

बच्चों में इस कड़वी सच्चाई को दूर ढकेलने और अपनी यातना को छिपाने की प्रवृत्ति रहती है। इसके साथ साथ हम वयस्कों की बच्चों को 'सुनने' की अक्षमता हमे बहुत सारे बच्चों के जीवन के इस पक्ष को नज़रअन्दाज़ करने के कई रास्ते दे देता है। भारत में हमारे लिए ज़मीनी हक़ीकत यह है कि बच्चे, छोटे बच्चे भी लड़के और लड़कियां दोनों, कानून लागू करनेवाली संस्थाओं द्वारा हिंसक कार्यवाही का शिकार होते हैं। बाल मनोवैज्ञानिक यह बताते हैं कि बहुत अच्छी परिस्थितियों में भी पुलिस से सामना बच्चों के लिये यातनादायी हो सकता है।[12] यह और भी दुष्कर तब हो जाता है जब पुलिसवाले आक्रामक होते हैं। इसका तात्कालिक प्रभाव तो स्पष्ट दिखते हैं कि जब भी बच्चा किसी पुलिसवाले को देखता है तो वह एकदम ही भय के एहसास से ग्रसित हो जाता है। बच्चे इस डर से भागने लगते हैं कि उन्हें पकड़ लिया जाएगा या पीटा जाएगा। अनुभवी चिकित्सकों[13] ने यह विश्लेषण किया है कि भागना सदमे की एक प्रतिक्रिया होती है।

इससे ऐसा लग सकता है कि वे दोषी हैं, पर यह ऐसा नहीं होता। यह सदमा है, यह डर होता है।

इस तरह के मानसिक आघात से एक बच्चे के दिमाग की वृद्धि और उसका खुद का विकास बाधित हो जाता है।[14] इससे उनकी पूरी मानसिक बनावट बदल जाती है। जब यह बहुत छोटी उम्र में होता है, खासतौर किशोरपूर्व वर्षों में, तो उसका विकास बहुत गहराई से बाधित होता है।

राज्य के कानून के संरक्षकों द्वारा बार–बार अपमानित होने से आत्मसम्मान पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ना लाज़िमी है। क्योंकि यह उन लोगों द्वारा किया जाता है जो सम्माननीय हैं और जो शासकवर्ग के प्रतिनिधि होते हैं। शारीरिक हिंसा के साथ या शारीरिक हिंसा के बिना, किसी भी स्वर में दी जा रहींअधिकाधिक यातना की खुली धमकियां और किये जाने वाले दुर्व्यवहार को सबसे सहनशील और प्रत्यास्थी बच्चे भी भुला नहीं पाते।



तुम्हारे मां बाप साले चोर हैं सब,
तुम्हारे मां बाप तो तुम्हे चोरी करना ही सिखाएंगे।

पढ़ना क्यों चाहोगे... तुम्हे तो दूसरे का ही खाने की आदत है।

बताती है कि नहीं, ये ऐसे नहीं समझते.. मिर्ची डालेंगे तभी समझ आएगा।

तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकते .. जानती है न।

तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकते .. जानती है न।

तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकते .. जानती है

तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकते .. जान

तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकते ..

तुम्हारे साथ क्या क्या कर सक

इससे भी ज़्यादा, पुलिस की दया पर रहने के दौरान व्यक्ति एक तरह की विवशता महसूस करता है, जो प्रताड़ित व्यक्ति में अपने जीवन पर नियन्त्रण खत्म हो जाने के एहसास को जन्म देता है। एक अन्य भौगोलिक सन्दर्भ में एक व्यक्ति जो पुलिस हिंसा के शिकार हैं, बताते हैं कि "यह वास्तव में और विस्तार व गहराई से आपको यह सोचने पर बाध्य कर देता है कि आप एक व्यक्ति के रूप में क्या हैं और यह जीवन क्या है तथा इस जीवन में आपका स्थान क्या है।"[15]

जातीय यातना, एक ऐसी शब्दावली है जिसे अश्वेत समुदायों के साथ होने वाली जातीय भेदभाव के परिणामस्वरूप होने वाली यातना के लिए नाम दिया गया। कहा जाता है कि इसके परिणामस्वरूप अवसाद, चिन्ता, आत्मसम्मान में कमी, अपमान महसूस करना, ध्यान कम केन्द्रित कर पाना और चिड़चिड़ापन के लक्षण नज़र आने लगते हैं। अनेकों बाल मनोवैज्ञानिकों ने यह ध्यान दिया है कि जातीय यातना के परिणामस्वरूप बच्चों में बढ़ी हुयी सतर्कता और सन्देह, धमकी के प्रति संवेदनशीलता, मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक लक्षण व आक्रमण करने की प्रवृत्ति दिखाई देने लगती है।[16] बहुत से बच्चे यह बताते हैं कि पुलिस स्टेशन में पिटाई के वक्त उनमें मजबूती से यह इच्छा उठती है कि वे पलट कर मारें या अपने पीटनेवाले से किसी तरह से बदला ले सके।[17]

शुरू–शुरू में ड्रग एवं शराब जैसे नशीले पदार्थ दर्द को संभालने और जारी यातना से उबरने में मदद करती है। लेकिन जब उसपे निर्भरता हो जाती है तो वह स्वयं बीमारी बन जाती है।[18]

इसके आगे, पीड़ितों में समय का बोध सीमित होता जाता है। दूसरे शब्दों में, जो लोग लगातार खतरे और असुरक्षा की मनःस्थिति में जी रहे होते हैं, उनके सामने भविष्य का कोई बोध नहीं विकसित हो पाता, उनके पास दूरगामी लक्ष्य नहीं होते और वे बार–बार ख़तरे का अंतिम नतीजा 'मौत' के रूप में ही अपेक्षित करते हैं। अन्य शोध ऐसी परिस्थितियों में खुदकुशी के प्रयास की घटनाओं में अधिक बढ़ोत्तरी और साथ ही आपराधिक न्याय व्यवस्था में शामिल होने की प्रवृत्ति में बढ़ोत्तरी हुयी हैं। पारधी बस्तियों में हमारे काम के दौरान भी इसी तरह की चीज़ें नज़र आती हैं।[19]

बच्चों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होनेवाली पुलिस क्रूरता के मुद्दे को सुरक्षा, जीने और विकास के बाल आधिकार के क्षेत्र में चिन्हित किया जाना चाहिए क्योंकि इसका उनके समूचे जीवन पर बहुत गहराई से प्रभाव पड़ता है और उनका पूरा जीवन उसमें उलझ के रह जाता है। बच्चे कभी भी इस संस्था पर विश्वास नहीं कर पाते जो राज्य के सभी नागरिकों की सुरक्षा के लिए बनाई गयी थी। दूसरे छोर पर, यह उनके जीवन के तमाम विकल्पों को प्रभावित करता है, और उनके जीवन को रोज़–ब–रोज़ प्रभावित करने के साथ साथ पूरी ज़िन्दगी को मोड़ देता है।

विमुक्त जनजातियों पर एक नोट

डीनोटीफाइड

विमुक्त (डीनोटीफाइड) जनजातियों पर एक नोट

आज, भारत में 313 घुमन्तू जनजातियां और 198 विमुक्त जनजातियां हैं। विमुक्त, घुम्मकड़ और अर्द्ध–घुम्मकड़ आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इन जनजातियों की तकरीबन 450 लाख आबादी की गणना की है। इसी के साथ उन बाधाओं की भी चर्चा की है जिनके आधार पर ये अनुमान लगाए गए हैं और उनका विचार है कि देश में विमुक्त, घुमन्तू, अर्द्ध घुमन्तू जनजातियों की वास्तविक जनसंख्या अनुमानतः 10 करोड़ से ज़्यादा है और ये समुदाय भारत की 11 फीसदी आबादी के बराबर हैं।[20]

ये समुदाय अपनी संस्कृतियों और कार्यों–रोजगारों में काफी अलग–अलग हैं, लेकिन अतीत की छाया समान रूप से लगातार उनका पीछा करती है। इन सभी समुदायों को 1871 क्रिमिनल ट्राइब ऐक्ट के तहत जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया था। इस कानून के पैदा होने के पीछे कई विचारधाराएं और राजनैतिक परिस्थितियां रहीं हैं। घुमन्तू और विभिन्न समूहों द्वारा अंग्रेज़ों के शासन के खिलाफ प्रतिरोध के कारण ब्रिटिश उपनिवेशवादियों के भय, जाति के बारे में नस्लीय सिद्धान्त[21,22] और पहले से मौजूद और स्थानीय रूप से जड़ जमाए हुए पूर्वाग्रह इन समुदायों के विरुद्ध कानून बनाने में काम करी है। व्यक्तिगत व्यवहार के आधार पर किसी को बख्शे बिना, समूचे समुदाय – पुरुष, औरत, बच्चे – सभी पर सख्त निगरानी रखी जाती। उनके आने जाने पर पाबन्दी थी और पुलिस थाने में रोज़ रिपोर्ट करना उनके लिए अनिवार्य बना दिया गया। बहुतों को मज़दूर बस्तियों में भेज दिया गया और वहां उनके श्रम का मुफ्त में शोषण किया जाता था, बहुत से लोगों को अण्डमान निकोबार द्वीप में दण्ड देने के लिए बनी कालोनियों में भेज दिया जाता था। कानून इस बात की इजाज़त देता था कि बच्चों को माता पिता से अलग कर दिया जाए और उन्हें सुधारगृह में रख दिया जाए।[23]

हालांकि, स्वतन्त्र भारत में इस कानून को समाप्त कर दिया गया लेकिन इन समुदायों पर 'डीनोटीफाइड ट्राइब या विमुक्त जाति' के नाम से थोड़ा बदले रूप में ठप्पा जारी रखा गया। ऐतिहासिक रूप से उनकी इस सम्बद्धता का मतलब था – आर्थिक कठिनाइयों समेत समाज में उनका निरन्तर अलगाव और पुलिस व मीडिया द्वारा उन्हें उसी रूढ़बद्ध तरीके से देखा जाना। विमुक्त जातियों को आपराधिक गतिविधियों से जोड़े जाने की स्थिति तब और दुरूह हो गयी जब उनके कई पारम्परिक[4] पेशे को आपराधिक बना दिया गया। सापों का प्रदर्शन, सड़कों पर कलाबाज़ी, शिकार और जानवरों के साथ प्रदर्शन को गैरकानूनी बना दिया गया। तथा प्राकृतिक संसाधनों तक उनकी पहुंच को लगातार सीमित किया गया जो इन बंजारे समूहों के लिए बेहद महत्वपूर्ण थे। इसके पीछे प्रभावी सोच यह थी कि राज्य को 'इन समूहों के ऊपर नियन्त्रण रख कर और उनका कायाकल्प करके इन्हें कठिन मेहनत करने वाली प्रजा के रूप में बदला जाए।'

ये समुदाय एक दुश्चक्र में फंसे हुए हैं। पीढ़ियों से उन्हें जो परम्परागत कौशल मिले हैं लेकिन उन्हें भिखारी और अपराधी कह कर बदनाम किया जाता है। बिना पर्याप्त पुनर्वास के उनके पास अपनी जीविका कमाने के बहुत कम विकल्प बचते हैं। कुछ समूहों को खेती की तरफ लाया गया लेकिन उन्हें जो ज़मीन मुहैया कराई गयी वह न तो उपजाऊ थी और न ही वहां पानी की पर्याप्त व्यवस्था थी। और इस तरह से खेती करना एक अव्यवहारिक विकल्प के खतरे जैसा काम बन गया। शिक्षा तक उनकी बहुत कम पहुंच होने के कारण अधिकांश सड़कों पर भीख मांगने के लिए

बाध्य हुए, पन्नी बीनने या सड़क के किनारे छोटे–मोटे सामान बेचने, खेती के कामों के लिए दूसरी जगह जाने और अस्तित्व के लिए आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए भी बाध्य हुए। इससे उनकी जीवन स्थितियों में कोई वास्तविक सुधार नहीं हुआ। और उनमें से अधिकांश अभी भी गरीबी रेखा से नीचे और अमानवीय परिस्थितियों में अपना जीवन गुज़ार रहे हैं।[24]

पुलिस मैनुएल लगातार ब्रिटिश विरासत को ढोता रहा और बहुत से समुदायों को 'अपराधी' कहता रहा। यहां तक कि हाल ही में 2014 में पटियाला के जिला न्यायालय की वेबसाइट पर सान्सियों को अभी भी सार्वजनिक तौर पर 'आपराधिक जनजाति' के रूप में दर्ज किया गया है और उनके परम्परागत अपराध 'घर में सेंध लगाना, हाईवे पर लूटमार करना, डकैती और चोरी' बताया गया है।

नस्लीय भेदभाव को खत्म करने के लिए बनी संयुक्त राष्ट्र की भेदभाव विरोधी कमेटी (सीईआरडी) ने कहा है 'कलंक जारी है, इसलिए दमन भी जारी है.......परिस्थिति दो आधारों पर गैरकानूनी व अन्यायोचित है, पहला है ''सभी मानव जन्म से स्वतन्त्र व समान हैं'', और दूसरा –यह आपराधिक न्याय प्रणाली के एक बहुमूल्य सिद्धान्त को नकारती है– ''जब तक कोई दोषी सिद्ध नहीं हो जाता वह निर्दोष होता है।''[25]

जब तक इन समुदायों के सम्पूर्ण पुनर्वास के लिए जमीनी स्तर पर काम नहीं होता और इन समुदायों को व्यापक समाज के हिस्से के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाता, तब तक ये समुदाय हाशिये के और समाज के निष्कासित समूह बने रहेंगे। इस बीच, कानून के रखवाले इन विमुक्त जनजाति समुदायों के सदस्यों के सन्दर्भों में स्वयं कानून तोड़ते आ रहे हैं।

भारत शासन के गृह मंत्री, डॉ के.एन. काटजू ने कहा था (1951) – ईश्वर और मानवता को अपमान है कि

मासूम बच्चों **को** पैदाइश **अपराधी** **ठहराया जाता है।**

नेहरू ने 1936 में कहा था कि अपराधिक जनजाति कानून के भयानक प्रावधान **नागरिक स्वतंत्रताओं** को **खत्म** करते हैं।

1952 में इस (कानून) को खारिज करते हुए उन्होंने फिर बोला कि **आज़ाद** भारत की कानून की किताबों में यह एक **धब्बा है।**

(अपराधिक जनजाति अधिनियम)

मध्यप्रदेश में विमुक्त समुदायों और पुलिस क्रूरता के सम्बन्ध में मीडिया में आये हाल के मामले

नवम्बर 2017

भोपाल में स्थित गांधी नगर बस्ती की रहवासी इन्द्रमल बाई ने पुलिस की लगातार पैसे की मांग से थककर और आक्रोष में अपने ऊपर घासलेट डाल दी। परिवारजन ने इन्द्रमल से माचिस छीनी तो स्थानीय थाने के पुलिसकर्मी खड़े खड़े उसे ताने मारते रहे कि तुम पारधी औरते तो मरती नहीं हो और 20,000 रूपये तो देने ही पड़ेंगे नहीं तो चोरी के केस में फसा दूंगा। इसी बीच पुलिसकर्मीयों की सिगरेट से इन्द्रमल को आग लग गई और तीन दिन अस्पताल में रहने पश्चात् असकी जान चली गई। वरिष्ठ पुलिसकर्मी दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज़ नहीं कर रहे।[26]

जून 2017

गुना में पारधी समुदाय की पिछले दो सालों से एक 80 साल की बूढ़ी महिला अपने बच्चे को न्याय दिलाने के लिए एक मजबूत लड़ाई लड़ रही है। कथित पीड़ित, आत्माराम मध्यप्रदेश में गुना में एक पारधी समुदाय से आता है। आत्माराम के परिवार का आरोप है कि पुलिस ने उसका 9 जून 2015 को घर से 'अपहरण' कर लिया था। उनकी मां ने बताया –''9 जून को मेरे लड़के और हमारे समुदाय के अन्य लोग एक सम्बन्धी की राख के विसर्जन के लिए पार्वती गए थे। कुशवाहा और कुछ अन्य पुलिस वाले वहां आए और मेरे लड़के को गोली मार दी। उसको घायल करने के बाद उन्होंने हमसे कहा कि वे उसे अस्पताल ले जा रहे हैं और कुछ समय बाद उसे छोड़ देंगे। लेकिन उसके बाद मैंने अपने बेटे को फिर कभी नहीं देखा।'' अप्पी बाई ने आरोप लगाया –''कुशवाहा के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए मैंने करीब दो साल तक संघर्ष किया लेकिन किसी ने इस शिकायत को दर्ज़ नहीं किया। अन्ततः, मैंने हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिका (हैबियसकार्पस पेटिशन) डाला। न्यायालय ने मेरी शिकायत को संज्ञान में लेते हुए पुलिस को स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा। लेकिन पुलिस ने इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं किया।''[27]

जनवरी 2017

आठ पुलिस स्टेशनों और जिला के बड़े पुलिस दल ने 25 जनवरी 2017 को धार जिले के भील गांव की एक बस्ती पर रेड किया। कई महिलाओं पर यौनिक हमला किया गया, चार के साथ बलात्कार किया गया, घरों को लूट लिया गया और अनाज को बरबाद कर दिया गया। ग्रामीणों की तरफ से की गयी प्रत्येक शिकायत पर प्रशासन का जवाब था कि गांव में बहुत से अपराधी तत्व हैं। गांव वालों के खिलाफ जो अपराध लगाया गया वह था–खाने के लिए पशुओं को मारना और बाइक चुराना।[28]

पारधी समुदाय के बच्चों का जीवन

पारधी बच्चों का अपने जीवन पर बहुत ही कम नियन्त्रण होता है। वे समुदाय के नियम–कानूनों द्वारा संचालित होते हैं। वे उन सभी नकारात्मक रूढ़विचारों का सामना करते हैं जिसे उनका समुदाय इस संसार में झेलता है। इतने प्रतिगामी माहौल के बावजूद वे सपने देखते हैं और एक दूसरी दुनिया बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अक्सर वे तमाम सारे दबावों के सामने झुक जाते हैं।

स्कूलों में अनुभव

इस समुदाय के अधिकांश बच्चों का स्कूल में नामांकन नहीं हुआ है। लेकिन जिन्होंने स्कूल जाने की कोशिश की है उन्हें नकारात्मक अनुभवों का सामना करना पड़ा है। इन बच्चों के प्रति पूर्वाग्रह इन टिप्पणियों में नज़र आता है – 'तुम्हारे पढ़ने से क्या फायदा, क्या ऐसा करके तुम बैंक लूटने के क़ाबिल होना चाहते हो'। यह टिप्पणी कक्षा 5 में पढ़ने वाले एक पारधी बच्चे पर की गयी। बच्चों के ऐसे बहुत से अनुभव दर्ज किये गए हैं जो स्कूलों में पारधी समुदायों के बच्चों के रुकने की कम दर के पीछे प्रमुख कारण है।[29]

कमाने का दबाव

चिड़ियों और छोटे जानवरों के शिकार पर प्रतिबन्ध के कारण, पीढ़ियों से पारधियों के लिए आजीविका का प्रमुख साधन उनसे छिन गया है। और अब बच्चों और औरतों पर परिवार के लिए रोजी–रोटी कमाने की प्रमुख ज़िम्मेदारी बन गई है। आज की परिस्थितियों में पारधियों की आय का प्रमुख स्रोत पन्नी बीनना बन गया है। छः साल के छोटे बच्चे भी परिवार की ज़िम्मेदारियों में कुछ हिस्सेदारी करना शुरू कर देते हैं। कचरा बीनना, कबाड़ को अलग–अलग करना, छोटे भाई–बहनों की देखभाल करना–ये सारे काम बच्चों को करने होते हैं।

बच्चों और युवाओं के विरुद्ध सांस्कृतिक नियम

सांस्कृतिक नियमों के कारण पारधी बच्चों, युवाओं और औरतों के पास ज़्यादा विकल्प या स्वतन्त्रता नहीं होती। शादियां बड़े लोग तय करते हैं और बहुत कम उम्र में शादियां हो जाती हैं; लड़के और लड़कियों को उनके लिए बनाए खांचे में ही ढल जाने की कोशिश करनी होती है वरन् जात–पंचायत के सख्त नियम उन पर लागू हो जाते हैं।

हिंसा का आत्मसात कर लेना और आपसी रिश्तों पर असर

ऐसा लगता है कि समुदाय पर होने वाली मौखिक और शारीरिक नकारात्मकता लोगों के मानस में घर कर लेती है और यह समुदाय के भीतर के रिश्तों में स्वयं को व्यक्त करती है। हिंसा को वह इस कदर आत्मसात कर लेता है कि वह दूसरों और स्वयं को नुकसान पहुंचाने लगता है। अवसाद और दबा हुआ दर्द और गुस्सा अपने सामाजिक परिवेश में अपने से कमज़ोर लोगों पर दमन के रूप में अभिव्यक्त होता है। अतः पुरुष लोग औरतों और बच्चों पर हिंसा करते हैं और औरतें अपने से छोटों पर। अन्य जगहों के मुकाबले यहां परिवार के भीतर प्रतिक्रिया और जवाब और तीखे दिखाई देते हैं। शारीरिक हिंसा और हर तरह की तीव्र प्रतिक्रिया (तुच्छ एवं महत्वपूर्ण, दोनों प्रकार के मुद्दों पर) जीने का एक तरीका बन जाती है। यहां तक कि बच्चों एवं युवाओं में भी। उनके अस्तित्व के लिए ज़रूरी है कि या तो वह पुलिस का सहयोगी (मुखबिर) बने या पुलिस की हिंसा झेलें। अतः, समुदाय के भीतर निरन्तर संघर्ष और संदेह बना रहता है।

जीवन में कम विकल्पों का होना

कम शिक्षा और काम के लिए नए विकल्पों तक पहुंच का न होना, जल्दी शादी हो जाना और नयी जिम्मेदारियों का आ जाना तथा जनजातीय दर्जे[30] के न होने से पारधी युवक/युवतियों के लिए जीवन के विकल्प सीमित हो जाते हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास के कार्यक्रम भी इस समुदाय की ज़रूरतों और सच्चाईयों को अपनी योजनाओं में शामिल नहीं करते। रोज़गार की सख्त जरूरत के बावजूद स्थायी रूप से काम तथा पारिश्रमिक नहीं मिलता।

खुदकुशी की घटनाएं

इस समुदाय में अनेकों युवा लोगों ने खुदकुशी कर ली या आकस्मिक मृत्यु में मारे गए। अप्राकृतिक मृत्यु की ये घटनाएं एक कहीं बडी परेशानी एवं इस बात की सूचक हैं कि ये समुदाय अपने पर आने दबावों का सामना करने में अक्षम हैं। यहां तक कि 10–12 साल के छोटे बच्चों (इनमें लड़कियां व लड़के दोनों शामिल हैं) ने फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली है।

लैंगिक भेदभाव

पढ़ने पर प्रतिबन्ध और अपने मन की चीज़ें न कर पाने, पुलिस थानों में यौनिक गालीगलौज की भाषा और धमकियां, पन्नी बीनने की ज़िम्मेदारी, घर की ज़िम्मेदारियां व अन्य परिस्थितियां लड़कियों के लिए लड़कों की अपेक्षा ज़्यादा दुष्कर है। सांस्कृतिक नियम के कारण लड़कों के लिए तो विकल्प सीमित हो ही जाते हैं लेकिन लड़कियों के लिए तो सबकुछ असम्भव हो जाता है।

यह नोट विगत 15 सालों के दौरान पारधी बच्चों के साथ हमारे संवाद पर आधारित है।

यह बेहद ज़रूरी है कि सभी बच्चों को मौका मिले........और उन्हें उनका हक़ मिले। सरकार एवं समाज सभी बच्चों के प्रति उत्तरदायी हैं।

पुलिस के साथ बच्चों के संवाद को सुरक्षित बनाने हेतु बनाए गए विभिन्न नियमों और कानूनों के बावजूद,बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन और अत्याचार ज़मीनी स्तर पर कायम रहे हैं।

पुलिस को बच्चों के सर्वाधिक हित में काम करने की ज़रूरत है

उन बच्चों के साथ भी जिन पर कानून के खिलाफ़ कुछ करने का सन्देह होता है।

कानून तोड़ने के संदेह में बच्चों को जब पुलिस पकड़ती है तो बच्चों के प्रति पुलिस के व्यवहार के लिए बच्चों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेन्शन (यूएनसीआरसी) और किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण) ऐक्ट 2015 के विशिष्ट प्रावधानों द्वारा दिशा निर्देश दिया गया है। इन कानूनों के सन्दर्भित अंश यहां सरल भाषा में दी गई हैं, इस उम्मीद में कि देश का कानून का पालन होगा।

यूएनसीआरसी

सभी बच्चों के पास ये अधिकार हैं, चाहे वे कोई भी हों, कहीं भी रहते हों, उनके मातापिता कुछ भी करते हो, वे कोई भी भाषा बोलते हों, उनका कोई भी धर्म, जाति अथवा रंग हो, वे लड़का हो या लड़की हों, उनकी कोई भी संस्कृति हो, भले ही वो अपंग हों, चाहे वो अमीर हों या गरीब। किसी भी बच्चे के साथ किसी भी आधार पर कोई भी अन्याय पूर्ण व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। (अनुच्छेद 2)

मातापिता, वैधानिक अभिभावक अथवा किसी भीअन्य व्यक्ति की देखभाल के दौरान, एक बच्चे को हर प्रकार की चोट और दुर्व्यहार, शारीरिक या मानसिक, से सुरक्षा मिलनी चाहिए। (अनुच्छेद 19)

किसी को यह अनुमति नहीं है कि वह एक बच्चे को क्रूरतापूर्वक, असम्मानजनक तरीके से अथवा नुकसान पहुंचाने के लिए बच्चे को सज़ा दे। एक व्यक्ति में निहित मानवीय सम्मान के लिए प्रत्येक बच्चा जो स्वतंत्र नहीं है, उसके साथ मानवतापूर्वक एवं सम्मान के साथ व्यवहार करना चाहिए। (अनुच्छेद 37)

किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण) ऐक्ट 2015

यह कानून उन बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करता है जो कानून के खिलाफ़ पाये जाते हैं और जिन्हें देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता होती है। ऐसे बच्चों के लिए पुलिस और न्यायिक प्रक्रिया के दौरान, बाल हितकारी प्रक्रिया को अपनाना चाहिए जो बच्चों के सर्वाधिक हित में काम कर सके।

जिस व्यक्ति के अधीन कानून के खिलाफ़ जाने वाले बच्चे को रखा गया है उसे उसके साथ उसी तरह से व्यवहार करना चाहिए जैसे वह उस बच्चे का अभिभावक हो और उसकी देखभाल के लिए जिम्मेदार हो। **(धारा 11)**

बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण के सामान्य सिद्धान्त (अध्याय 2)

निर्दोष मानने का सिद्धान्त एक बच्चे को किसी भी बदनीयत अथवा आपराधिक नीयत से मुक्त व निर्दोष माना जाना चाहिए।

सम्मान एवं योग्यता का सिद्धान्त सभी मनुष्यों के साथ समान प्रतिष्ठा एवं अधिकारों के साथ व्यवहार करना चाहिए।

सहभागिता का सिद्धान्त हरेक बच्चे को उसकी बात सुने जाने का अधिकार होना चाहिए और उन सभी प्रक्रियाओं और निर्णयों में शामिल होने का हक होना चाहिए जो उन्हें प्रभावित करते हैं।

सर्वोच्च हित का सिद्धान्त सभी निर्णय इस बुनियादी बात पर आधारित होने चाहिए कि वह बच्चे के सर्वोच्च हित में हों और वह बच्चे की पूरी क्षमता का विकास कर सकें।

परिवार के उत्तरदायित्व का सिद्धान्त बच्चे की देखभाल, पोषण और सुरक्षा की मुख्य ज़िम्मेदारी उस बच्चे के नैसर्गिक परिवार अथवा गोद लिए हुए बच्चे के माता पिता की होनी चाहिए।

सुरक्षा का सिद्धान्त ऐसे सारे सुरक्षा उपाय किये जाने चाहिए जो यह सुनिश्चित करते हों कि बच्चा सुरक्षित है और उसे देखभाल और सुरक्षा व्यवस्था के दौरान और उसके बाद उसके साथ कोई नुकसान, दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए।

सकारात्मक उपाय परिवार एवं समुदाय समेत उन समस्त संसाधनों को जुटाया जाना चाहिए ताकि बच्चों के हित को बढ़ावा दिया जा सके, उनकी पहचान के विकास में मदद की जा सके और एक समावेशी और सहयोगी माहौल प्रदान किया जा सके जिससे बच्चों पर खतरें की आशंका कम हो और इस अधिनियम के तहत हस्तक्षेप की ज़रूरतें न बने।

अकलंकित भाषा का सिद्धान्त बच्चों के साथ व्यवहार करते समय उल्टी–सीधी भाषा और आरोपयुक्त भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

अधिकारों के परित्याग न करने का सिद्धान्त बच्चों के किसी भी अधिकार का परित्याग करना न तो स्वीकार्य है और न ही वैध चाहे इसकी मांग बच्चे की तरफ से या बच्चे का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी व्यक्ति की तरफ से, बोर्ड या कमेटी की तरफ से आयी हो।

समानता और भेदभाव न करने का सिद्धान्त लिंग, जाति, जातीयता, जन्मस्थान, अपंगता समेत किसी भी आधार पर बच्चों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए।

निजता और गोपनीयता के अधिकार का सिद्धान्त प्रत्येक बच्चे को यह अधिकार है कि वह अपनी निजता और गोपनीयता को सुरक्षित रखे।

अन्तिम उपाय के रूप में संस्थाबद्ध किये जाने का सिद्धान्त किसी बच्चे को अन्तिम उपाय के रूप में ही किसी संस्था की देखभाल में छोड़ना चाहिए।

घर लौटने और पुनर्वास का सिद्धान्त किशोर न्याय प्रणाली में प्रत्येक बच्चे को यह अधिकार है कि वह जल्द से जल्द अपने परिवार के साथ पुनः जुड़ सके। इस सिद्धान्त में तभी छूट दी जा सकती है जब घर लौटना और पुनर्वास उसके सर्वाधिक हित में न हो।

जीवन दुबारा शुरू करने का सिद्धान्त किशोर न्याय प्रणाली के तहत केवल विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, बच्चे का पिछला सभी रिकार्ड समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

दिशा परिवर्तन का सिद्धान्त बच्चों के साथ ऐसे उपायों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जिससे समस्या को न्यायिक प्रक्रिया से बाहर हल किया जा सके।

प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त इस कानून के तहत न्यायिक व्यवस्था के तहत काम करने वाले सभी व्यक्तियों या निकायों को पक्षपातरहित बुनियादी प्रक्रियागत स्तर का पालन करना चाहिए जिसमें शामिल हैं– पक्षपातरहित सुनवाई का अधिकार, पूर्वाग्रह के खिलाफ नियम और पुनरीक्षण का अधिकार।

जब भी कोई पुलिसकर्मी कानून के खिलाफ जाने वाले आरोपित बच्चे के सन्दर्भ में कोई भी प्रक्रिया अपनाता है, तब व्यवहार के निम्नलिखित मापदंडों पर कानून द्वारा अपेक्षित है

- बच्चे के साथ किसी भी तरह की मारपीट या दबाव का इस्तेमाल न करें।
- बच्चे को हथकड़ी या किसी भी तरह की बेड़ी न लगाएं।
- उसे विशेष किशोर पुलिस यूनिट (एसजेपीयू) या पदस्थ बाल कल्याण पुलिस अफसर के अधीन तुरन्त रखें।
- बच्चे को पुलिस लॉकअप या जेल में नहीं रखा जाए।
- बच्चे के खिलाफ सिर्फ उसी दशा में एफआईआर दर्ज की जाएगी जब बच्चे पर कोई घृणित अपराध करने का आरोप हो या उस पर बड़ों के साथ मिल कर कोई अपराध करने का आरोप हो।
- 24 घंटे के अन्दर बच्चे को पेश किया जाना चाहिए।
- बच्चे के माता पिता या अभिभावक के माध्यम से बच्चे को उस पर लगे आरोपों की तुरन्त सीधे जानकारी दें।
- यदि एफआईआर दर्ज की जा चुकी है तो इसकी एक कापी बच्चे को या बच्चे के मातापिता या अभिभावक को दी जानी चाहिए।
- उचित मेडिकल सहायता उपलब्ध करायी जाए, दुभाषिया या विशेष शिक्षक की सहायता उपलब्ध करायी जाए या ऐसी कोई भी मदद दी जाए जो उस केस में बच्चे की ज़रूरत हो।
- बच्चे को उसके अपराध की स्वीकारोक्ति करने के लिए बाध्य न किया जाए।
- बच्चे से पूछताछ बाल अनुकूल जगह पर की जाए, जिससे उसे पुलिस स्टेशन का अहसास न हो या उसे यह न लगे कि वह पुलिस हिरासत में है। बच्चे के माता पिता और अभिभावक पुलिस द्वारा बच्चे से पूछताछ के वक्त उपस्थित रह सकते हैं।
- बच्चे को किसी भी वक्तव्य पर हस्ताक्षर करने को न कहें।
- बच्चे को मुफ्त कानूनी मदद देने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सूचित करें।

इसके अतिरिक्त कुछ और प्रावधानों का पालन होना चाहिए –

- बाल कल्याण पुलिस अफसर को अपनी यूनिफार्म में न होकर सादे कपड़ों में होना चाहिए।
- बाल कल्याण अधिकारी को बिना समय बरबाद किए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए, बच्चों को पकड़ने के अधिकतम 24 घंटे के अंदर अंदर।
- जब तक कि बच्चा गम्भीर अपराध में शामिल न हो या बच्चे के सर्वाधिक हित में ऐसा न हो, बच्चे को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए।
- राज्य सरकार को स्वैच्छिक या गैर सरकारी संगठनों या ऐसे व्यक्तियों के एक पैनल को खड़ा करना चाहिए जो तैयारी काल की सेवाएं, काउंसलिंग, केस वर्क को देने की स्थिति में होंगे और बाल सुरक्षा प्रणाली के साथ भी जुड़े होंगे।